

# बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

क्रमांक:- प. 24 / बा.शि.फा./आपकी बेटी/2018-19/पार्ट-ग/992-1024 दिनांक : 24.01.23

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक

विषय:- वर्ष 2022-23 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा संचालित तीन योजनाओं (शारीरिक अक्षमतायुक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, मूक-बधिर एवं नैत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार तथा आपकी बेटी महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा संचालित निम्नांकित योजनाओं में वर्ष 2022-23 की पात्र बालिकाओं को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन चिन्हित कर प्रोसेस उपरान्त अप्रूव कर डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि का भुगतान किया जाएगा। जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

## 1. शारीरिक अक्षमतायुक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कारः-

शारीरिक अक्षमतायुक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2000/- एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 5000/- रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

इस योजना की पात्र बालिकाओं के चिन्हीकरण / APPLICATION PROSESS की कार्यवाही निम्नानुसार रहेगी :-

- (1) शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय LOGIN से "विद्यार्थी" टैब में "विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र-9" में प्रदर्शित कक्षावार समस्त सूचनाएँ भरी जानी है।
- (2) शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय LOGIN से "विद्यार्थी" टैब में "लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना" में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की CWSN श्रेणी (CWSN श्रेणी प्रकार-19, संलग्न) का चयन करते हुए सबमिट किया जाना है।
- (3) शाला दर्पण पोर्टल के HOME PAGE पर शुरू किये गये BENEFICIARY SCHEME PORTAL पर विद्यालय LOGIN में SCHEME का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को APPROVE AND LOCK किया जाना है।
- (4) SCHOOL LOGIN से LOCKED सूचनाएँ DEO OFFICE LOGIN (प्रारम्भिक / माध्यमिक) के BENEFICIARY SCHEME PORTAL पर प्रदर्शित होने पर OTP के माध्यम से FINAL SUBMIT किया जाना है।

## 2. मूक-बधिर एवं नैत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कारः-

राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक की मूक-बधिर एवं नैत्रहीन बालिकाओं को राशि 2000/- एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 5000/- रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

- (1) शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय LOGIN से "विद्यार्थी" टैब में "विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र-9" में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की समस्त सूचनाएँ भरी जानी है।
- (2) शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय LOGIN से "विद्यार्थी" टैब में "लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना" में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की CWSN श्रेणी (केवल BLINDNESS-अंधता तथा SPEECH AND LANGUAGE DISABILITY-वाक् एवं भाषा निःशक्तता) का चयन करते हुए सबमिट किया जाना है।
- (3) शाला दर्पण पोर्टल के HOME PAGE पर शुरू किये गये BENEFICIARY SCHEME PORTAL पर विद्यालय LOGIN में SCHEME का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को APPROVE AND LOCK किया जाना है।
- (4) SCHOOL LOGIN से LOCKED सूचनाएँ DEO OFFICE LOGIN (प्रारम्भिक / माध्यमिक) के "BENEFICIARY SCHEME PORTAL" पर प्रदर्शित होने पर OTP के माध्यम से FINAL SUBMIT किया जाना है।

### 3. आपकी बेटी योजना:-

योजनान्तर्गत “गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएँ जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो” ऐसी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रु. एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 2500/- रु. प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

- (1) शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय LOGIN से “विद्यार्थी” टैब में “विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र-9” में प्रदर्शित समस्त सूचनाएँ भरी जानी है।
- (2) शाला दर्पण पोर्टल विद्यालय LOGIN से “विद्यार्थी” टैब में “लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना” में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की “BPL” एवं “ORPHAN/SINGAL PARENT” श्रेणी का चयन करते हुए सबमिट किया जाना है।
- (3) शाला दर्पण पोर्टल HOME PAGE पर शुरू किये गये “BENEFICIARY SCHEME PORTAL” पर विद्यालय LOGIN में SCHEME का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को APPROVE AND LOCK किया जाना है।
- (4) SCHOOL LOGIN से LOCKED सूचनाएँ DEO OFFICE LOGIN (प्रारम्भिक/माध्यमिक) के “BENEFICIARY SCHEME PORTAL” पर प्रदर्शित होने पर OTP के माध्यम से FINAL SUBMIT किया जाना है।


उक्त तीनों योजनाओं के ऑनलाईन प्रस्ताव सबमिशन प्रक्रिया की समयावधि निम्नानुसार है:-

• विद्यालय LOGIN से योजना की पात्र बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर सूचना दर्ज करते हुए LOCK करना	दिनांक 31.01.2023
• जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक द्वारा प्रमाणीकरण / सत्यापन (अन्तिम तिथि तक प्रमाणीकरण / सत्यापन न किये जाने पर डाटा स्वतः सत्यापित माना जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप कार्यालय का होगा)	दिनांक 07.02.2023

उक्त तीनों योजनाओं की पात्र बालिकाओं का शाला दर्पण पोर्टल पर जन-आधार नं. प्रमाणीकरण अनिवार्य है क्योंकि तीनों योजनाओं में पुरस्कार राशि का अन्तरण जन-आधार से (परिवार की मुखिया या बालिका) जुड़े बैंक खातें में ही किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया एवं समयावधि के अनुसार तीनों योजनाओं की पात्र बालिकाओं के ऑनलाईन प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावे, जिससे समय पर बालिकाओं को पुरस्कार राशि अन्तरित करवाई जा सके।

सलंगन: —उपरोक्तानुसार

भवदीय  
  
 (डॉ. भारती वमा) 24/01/23  
 सचिव  
 बालिका शिक्षा फाउण्डेशन  
 जयपुर

क्रमांक:— प. 24/बा.शि.फा./आपकी बेटी/2018-19/पार्ट आ /1025-1036 दिनांक : 24.01.23  
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज. सरकार
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
5. निजी सचिव, जिलाधीश महोदय, समस्त जिले, राजस्थान
6. निदेशक महोदय, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर
7. वरिष्ठ तकनिकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर।
8. उप शासन सचिव प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, सरकार जयपुर
9. निदेशक महोदय, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि केवल आपकी बेटी योजना में राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के ऑनलाईन आवेदन पत्रों की प्रक्रिया पूर्ण करवाने का श्रम करावे।
10. उपायुक्त, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
11. प्रभारी अधिकारी, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर
12. रक्षित पत्रावली।

  
 (तेजस्वाल मूण्ड) 24/01/23  
 उप सचिव  
 बालिका शिक्षा फाउण्डेशन  
 जयपुर